भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 433
28/11/2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

लू लगने से होने वाली मौतें और सुरक्षात्मक उपाय

433. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **पृथ्वी विज्ञान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश भर में लू लगने के कारण हुई मौतों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) अतिसंवेदनशील आबादी को अत्यधिक गर्मी से बचाने के लिए विशेष रूप से लक्षित योजनाओं या कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या मौजूदा या नए आपदा राहत कार्यक्रमों के तहत भीषण लू से प्रभावित क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने पर कोई विचार किया जा रहा है?

उत्तर
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए नवीनतम विवरण अनुलग्नक-1 में दिए गए हैं।

(ख) राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (NDMA) और स्थानीय स्वास्थ्य विभागों के सहयोग से भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के कई हिस्सों में हीट एक्शन प्लान शुरू किया है, ताकि लू के बारे में अग्रिम चेतावनी दी जा सके और साथ ही ऐसी स्थितियों में की जाने वाली कार्रवाई के बारे में परामर्श दिया जा सके।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से संयुक्त रूप से 23 राज्यों में हीट एक्शन प्लान (HAP) कार्यान्वित किया जाएगा, ताकि तत्काल और दीर्घकालिक कार्रवाई की जा सके तथा तैयारी, सूचना साझाकरण और प्रतिक्रिया समन्वय को बढ़ाया जा सके, जिससे श्रमिकों सहित संवेदनशील आबादी पर अत्यधिक गर्मी से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को कम किया जा सके।

(ग) राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदाओं की केन्द्रीय अधिसूचित सूची में शामिल ना होने वाली घटनाओं, जो उनके विचार में राज्य के स्थानीय संदर्भ के अन्तर्गत 'आपदा' हों, के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए, निर्धारित नियमों एवं शर्तों को पूरा करते हुए राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के वार्षिक निधि आवंटन के 10 प्रतिशत तक की राशि प्रयोग कर सकती हैं।

अनुलग्नक -1

वर्ष 2018-2022 के दौरान लू लगने / सन स्ट्रोक के कारण होने वाली मौतों का राज्य / संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण:

क्र.सं.	**राज्य / संघ राज्य क्षेत्र**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
1	आंध्र प्रदेश	97	128	50	22	47
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
3	असम	0	3	0	0	1
4	बिहार	64	215	53	57	78
5	छत्तीसगढ़	1	16	3	2	11
6	गोवा	0	0	0	0	0
7	गुजरात	31	27	12	8	5
8	हरियाणा	56	46	23	14	27
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	1	0
10	झारखंड	42	88	23	33	47
11	कर्नाटक	0	4	1	0	2
12	केरल	1	3	0	0	0
13	मध्य प्रदेश	15	33	7	2	27
14	महाराष्ट्र	128	159	56	37	90
15	मणिपुर	0	0	0	0	0
16	मेघालय	4	0	0	0	0
17	मिजोरम	0	0	0	0	0
18	नगालैंड	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	40	84	13	15	38
20	पंजाब	38	90	110	91	130
21	राजस्थान	43	54	23	1	12
22	सिक्किम	0	1	0	0	0
23	तमिलनाडु	0	0	0	2	2
24	तेलंगाना	107	156	98	43	62
25	त्रिपुरा	1	1	2	0	2
26	उत्तर प्रदेश	176	117	50	35	130
27	उत्तराखण्ड	0	0	0	0	0
28	पश्चिम बंगाल	46	49	6	11	18
	कुल राज्य	**890**	**1274**	**530**	**374**	**729**
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
31	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव @ +	0	0	0	0	0
32	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	0	0	0	0	1

33	जम्मू एवं कश्मीर @ *	0	0	0	0	0
34	लद्दाख @	-	-	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	0	0	0	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
	कुल (समस्त भारत)	**890**	**1274**	**530**	**374**	**730**

राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार
'+' वर्ष 2018-2019 के दौरान भूतपूर्व दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र के संयुक्त आंकड़े
'*' वर्ष 2018-2019 के दौरान भूतपूर्व जम्मू एवं कश्मीर राज्य समेत लद्दाख का आंकड़ा
'@' नव सृजित संघ राज्य क्षेत्र का आंकड़ा
स्रोत: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB), गृह मंत्रालय (MHA)

****